

भारत में खाद्य सुरक्षा : दशा, दिशा और भावी परिदृश्य

—डॉ. जगदीप सक्सेना

आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। हरे-भरे खेतों में उपजे अनाज को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की एक मजबूत प्रणाली भी काम कर रही है। इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य सुरक्षा का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित दिखाई देता है।

आकाल और भुखमरी को करारी शिकस्त देकर भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल की है। आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए पर्याप्त आहार और पोषण की व्यवस्था की गई है। देश की लगभग 1.30 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि अनुसंधान एवं विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे फसल, बागवानी और पशु-पक्षी उत्पादों के कुल उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। यह क्रम और प्रयास पहले से अधिक गहनता और तत्परता के साथ जारी हैं, इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य सुरक्षा का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि

संगठन (एफएओ) के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, "सभी व्यक्तियों की सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हो और जो उनके सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं तथा भोजन वरीयताओं को भी संतुष्ट करे।" इस परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से पोषण सुरक्षा का भी समावेश है। भारत ने पोषण सुरक्षा के नजरिए से भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका प्रभाव सामाजिक स्वास्थ्य के क्रमिक सुधार के रूप में दिखाई देता है।

खाद्य उत्पादन में क्रांति

सन् 1960 के दशक में हरितक्रांति के सूत्रपात ने भारत को पहली बार अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित हुआ कि कृषि और संबंधित उद्यमों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दखल से उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाना संभव है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में इस ओर बढ़ाए गए ठोस कदमों और प्रयासों से आज अनाज



उत्पादन बढ़कर 25.22 करोड़ टन (2015-16) तक पहुंच गया है। हाल के वर्षों में देश को कई बार सूखे जैसी दशाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं की विपदा झेलनी पड़ी, परंतु पूर्व तैयारी के कारण खाद्य उत्पादन पर इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। वर्ष 2015-16 के दौरान चावल का 10.33 करोड़ टन, गेहूं का 9.40 करोड़ टन और मोटे अनाजों का 3.77 करोड़ टन उत्पादन हुआ। दालों का उत्पादन 1.70 करोड़ टन से अधिक आंका गया और तिलहनों ने लगभग 2.60 करोड़ टन का आंकड़ा हासिल कर लिया। कृषि जिनसों के उत्पादन के ये प्रभावशाली आंकड़े कृषि अनुसंधान एवं विकास के साथ कृषि विकास एवं किसान कल्याण की उन योजनाओं की कामयाबी की ओर भी संकेत करते हैं, जिनके माध्यम से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता, कृषि आदान, कृषि ऋण, बाजार सुविधा आदि उपलब्ध कराई गई। इन योजनाओं में हाल के वर्षों में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार और परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि इन योजनाओं के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाने का विशेष प्रयास किया गया, क्योंकि किसानों के इस वर्ग को देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा का सबसे प्रमुख अंशदाता माना जाता है। इनके दो हेक्टेयर से कम जोत आकार के खेत देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 44 प्रतिशत भाग पर फसल उपजा कर खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। कृषि उत्पादन में दर्ज की जा रही लगातार बढ़ोतरी के कारण दिसंबर, 2016 में भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में कुल लगभग 276 लाख टन अनाज (चावल और गेहूं) जमा था। यह मात्रा देश की आवश्यकता और सुरक्षित भंडार के तय मानदंडों से अधिक है।



खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में भारत ने विश्व में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वर्ष 2014-15 में भारत ने 8.66 करोड़ टन फल और 16.94 करोड़ टन सब्जियों के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। इसी वर्ष में भारत में लगभग 14.6 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया गया, जो विश्व में सर्वाधिक है और एक कीर्तिमान भी है। दूध उत्पादन में इस क्रांतिकारी वृद्धि के कारण देश में प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वर्ष 1990-91 के 176 ग्राम से बढ़कर 2014-15 में 322 ग्राम तक पहुंच गई, जो विश्व औसत से अधिक है। इसी क्रम में वर्ष 2014-15 में अंडों का उत्पादन बढ़कर 78.48 अरब हो गया और पोल्ट्री मांस का उत्पादन 30.4 लाख टन पहुंच गया। इसी दौरान मछली उत्पादन बढ़कर 101.6 लाख टन दर्ज किया गया। खाद्य और पोषण को आधार देने वाली इन जिनसों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि से खाद्य और पोषण सुरक्षा को एक मजबूत आधार मिला है।

खाद्य सुरक्षा के लिए मिशन

लगातार बढ़ती आबादी के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को सतत बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से एक व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की। इसका लक्ष्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान चावल के उत्पादन में एक करोड़ टन, गेहूं में 80 लाख टन और दालों में 20 लाख टन की वृद्धि करना था। इस अवधि के दौरान योजना ने अपने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की, जिससे उत्साहित होकर मिशन को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान भी जारी रखा गया। परंतु इस बार लक्ष्य को बढ़ाकर कुल खाद्यान्नों के लिए 250 लाख टन कर दिया गया है।

साथ ही चावल, गेहूं और दलहन के साथ मोटे अनाज, गन्ना, जूट और कपास को भी शामिल किया गया है। ग्यारहवीं योजना में मिशन के अंतर्गत केवल 15 राज्य शामिल किए गए थे, लेकिन अब इसे राष्ट्रव्यापी बनाकर 29 राज्यों के 638 जिलों में लागू कर दिया गया है। हाल में मिशन के अंतर्गत 93 'सीड हब' (बीज केंद्र) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ताकि किसानों को सही समय और वाजिब कीमत पर उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सकें।

मिशन के अंतर्गत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चुने गए जिलों में वैज्ञानिक खेती के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बीज तथा अन्य महत्वपूर्ण कृषि आदानों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। उन्नत



किस्मों के बीज की खरीद के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है और नवीनतम किस्मों के बीज 'सीड मिनीकिट' के रूप में किसानों के बीच निःशुल्क बांटे जाते हैं। फसल के लिए उपयोगी यंत्रों, कृषि रसायनों तथा उपचारों के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रबंध किया गया है। अधिक से अधिक किसानों को नवीनतम तकनीकों तथा लाभकारी जानकारी से सशक्तीकरण करने के लिए 'किसान फील्ड स्कूल' के आयोजन में भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गेहूँ की खेती के लिए पम्पसेट की खरीद पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है। दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा फुव्वारा सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर सेट) की स्थापना पर सहायता का प्रावधान है। दलहनी फसलों के खेत की नील गाय से सुरक्षा के लिए भी विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। मिशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/जिलों को राष्ट्रीय/राज्य-स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की व्यवस्था भी है।

ताकि सबको मिले अन्न

भारत जैसे विशाल और आर्थिक विषमताओं वाले देश में दूरदराज के दुर्गम इलाकों तक और समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक अनाज की भौतिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित करना एक कठिन चुनौती है। परन्तु अनुकूल नीतियों, कारगर योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। सन् 1960 के दशक में देश भर में स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक वाजिब कीमत पर अनाज को सुलभ कराना था, जिससे देश में अनाज की कमी होने पर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। इसके लिए अनाज की खरीद, भंडारण, परिवहन और आम जनता तक वितरण की एक मजबूत प्रणाली विकसित की गई, जिसमें उपभोक्ता को उचित कीमत की राशन की दुकानों के जरिए एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु समय के साथ अनाज उत्पादन और सामाजिक-आर्थिक स्तर में हुए बदलाव के कारण इस प्रणाली की नीति में भी लगातार बदलाव हुआ और आज इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के रूप में लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सन् 1997 में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे परिवारों (बीपीएल) को प्रत्येक महीने 10 किलोग्राम अनाज कम कीमत पर उपलब्ध कराने के साथ की गई। इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली बार केवल गरीब वर्ग को लक्ष्य बनाया गया, परन्तु गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया गया। लेकिन इनके लिए अनाज की कीमत अपेक्षाकृत अधिक रखी गई। अनाज की उपलब्धता बढ़ने के साथ अनाज की मात्रा भी बढ़ती गई और आज प्रत्येक गरीब परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक महीने उपलब्ध कराया जाता है। टीपीडीएस को केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से लागू किया जा रहा है। केंद्र द्वारा अनाज की खरीद और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाती

है तथा प्रत्येक राज्य को मांग के अनुसार अनाज आबंटित किया जाता है। जबकि राज्यों पर निर्धारित केंद्रों से अनाज को उठाने और राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण की जिम्मेदारी होती है। गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें कार्ड जारी करने और अनाज की वाजिब कीमत तय करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है। टीपीडीएस को अधिक कुशल, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर अनेक उपाय किए हैं, जिनमें 'आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। 'डिजिटल इंडिया' के अंतर्गत कई राज्यों ने इस प्रणाली को 'ऑन-लाइन' कर दिया है, जिसके द्वारा अनाज की प्राप्ति, परिवहन की स्थिति, जारी अनाज की मात्रा और बीपीएल कार्डधारकों के विवरण तथा अन्य जानकारी पारदर्शी रूप से सबके सामने हैं। केंद्र सरकार विशेष प्रयास करके देश के दुर्गम इलाकों जैसे उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र आदि में अनाज पहुंचा रही है और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त राज्यों को निर्धारित कोटा से अधिक अनाज भेजकर तुरंत राहत पहुंचायी जाती है।

खाद्य सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने और समाज के गरीब से गरीब तक अनाज पहुंचाने के उद्देश्य से सन् 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई। दरअसल समाज के कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं, जो राशन की दुकानों से कम कीमत पर अनाज खरीदने में भी सक्षम नहीं हैं और अनुमान के अनुसार इनकी संख्या भी करोड़ों में है। इनकी पारिवारिक आमदनी 250 रुपये प्रति माह से भी कम है। इन परिवारों को पहचान कर इनके लिए विशेष अन्त्योदय कार्ड बनाए गए, जिनके आधार पर इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी कीमत गेहूँ के लिए मात्र दो रुपये प्रति किलो और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो तय की गई है। इस योजना ने देश के निर्धनतम परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा दी है।

देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में सबसे बड़ा और व्यापक कदम सन् 2013 में उठाया गया, जब भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को नागरिकों का अधिकार मानते हुए एक कानून बनाया। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया और राज्य सरकारों से इसके प्रावधान लागू करने की अपील की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत आबादी और शहरों की 50 प्रतिशत आबादी को बेहद कम कीमत पर टीपीडीएस के अंतर्गत अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस तरह देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ गई है। इसके अंतर्गत चुने गए प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी कीमत चावल के लिए तीन रुपये, गेहूँ के लिए दो रुपये और मोटे अनाजों के लिए एक रुपये प्रति किलो रखी गई है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशु को दूध



पिलाने वाली महिलाओं (शिशु के जन्म के छह महीने बाद तक) को पोषक आहार दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस विशेष अधिनियम को 32 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है, जिससे करोड़ों बच्चों और महिलाओं की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

बच्चों में स्कूल जाने की आदत को बढ़ावा देने और उनका पोषण-स्तर सुधारने के उद्देश्य से सन् 1995 में देश के लगभग 2,400 ब्लॉकों में मध्याह्न आहार योजना (मिड डे मील स्कीम) लागू की गई। इसके अंतर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्राइमरी दर्जे के छात्रों को पोषक आहार दिया जाता है, जिससे बच्चों के स्तर पर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसकी कामयाबी से उत्साहित होकर इसे पूरे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया और पोषक आहार के मानदंड भी बदले गए। साथ ही इसका दायरा भी व्यापक बनाया गया। अब इसमें प्राइमरी तथा अपर-प्राइमरी, दोनों ही दर्जों के छात्रों को शामिल कर लिया गया है तथा आहार में अनाज के साथ दालों और सब्जियों को भी उचित अनुपात में शामिल किया गया है, लेकिन पोषक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तेल और वसा के उपयोग को सीमित किया गया है। इस तरह देश के लगभग 11-12 करोड़ स्कूली छात्रों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। शिशुओं और माताओं की पोषण सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1975 से एक व्यापक 'समेकित बाल विकास योजना' (आईसीडीएस) लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत छह वर्ष तक की आयु के बच्चों और उनकी माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही पूरक आहार और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था भी रहती है। इस योजना से छह वर्ष की आयु तक के लगभग तीन करोड़ 40 लाख बच्चों और लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

चुनौतियां भी कम नहीं

देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लंबे समय तक सतत बनाए रखना एक कठिन चुनौती है, क्योंकि आबादी में लगातार विस्तार हो रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और नागरिकों की आमदनी बढ़ने से भोजन की मांग और विविधता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। यदि इस भावी परिदृश्य को वर्ष 2050 के नजरिए से देखा जाए तो भारत की आबादी लगभग 1.65 अरब तक और प्रति व्यक्ति आमदनी 4,01,839 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। उस समय देश में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में बसी होगी, जिससे कृषि के आधार को चोट पहुंचने की आशंका जतायी जा रही है। अध्ययनों से पता चला है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सात प्रतिशत की वृद्धि दर मानी जाए तो वर्ष 2050 में अनाज की मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जबकि फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों में 100 से 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रति

व्यक्ति कैलोरी मांग 3,000 किलो कैलोरी से अधिक हो सकती है। इसके लिए खाद्यान्नों की उत्पादकता वर्तमान 25,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन से बढ़ाकर 46,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के स्तर पर ले जानी होगी। इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि देश में खाद्यान्नों की मांग 45 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। इसी तरह दालों, खाद्य तेलों, दूध, मांस, अंडा, फलों, सब्जियों, चीनी तथा अन्य कृषि जिनसों की मांग भी इसी अनुपात में या इससे अधिक बढ़ सकती है। उत्पादकता के इस स्तर तक पहुंचने की संभावनाओं से पहले कुछ कठिन बाधाओं पर ध्यान देना और उनका आकलन करना आवश्यक है।

गरमाती धरती या 'ग्लोबल वार्मिंग' की वैश्विक विपदा को खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। वैज्ञानिक अनुमान बताते हैं कि यदि हम औसत तापमान की बढ़ोतरी पर कोई सार्थक रोक लगा नहीं पाते तो सन् 2050 तक औसत तापमान में 2.2 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इससे रबी और खरीफ फसलों के साथ फलों, सब्जियों, दूध उत्पादन तथा मछली उत्पादन पर भी चोट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि तापमान बढ़ोतरी के वर्तमान रुख के अनुसार वर्ष 2050 तक गेहूं के कुल उत्पादन में 01 करोड़ 17 लाख टन तक की कमी आ सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बरानी चावल का उत्पादन 10-15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, परंतु पंजाब और हरियाणा में इसमें 15-17 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। देश के अन्य क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन 6-18 प्रतिशत तक गिर सकता है। सन् 2050 तक दूध के उत्पादन में लगभग डेढ़ करोड़ की गिरावट की आशंका जताई गई है। तापमान बढ़ने से हमारे देश के शीतोष्ण क्षेत्रों में उगने वाले फलों के क्षेत्र और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह सागरों और नदियों का औसत तापमान बढ़ने से मछली उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ेगा।

खाद्य सुरक्षा को सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता भी लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 2050 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 2010-11 के 0.13 हेक्टेयर से घटकर मात्र 0.09 हेक्टेयर रह जाएगी, जो एक चिंता का विषय है। इसके साथ कृषि भूमि का लगातार अन्य विकास कार्यों तथा आवास के लिए उपयोग होना भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट है। इसी तरह सिंचाई के पानी की लगातार कमी होना भी एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। अनुमान है कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश की 50 प्रतिशत से अधिक कृषि फसलें बरानी दशाओं में उगायी जाएंगी, यानी वर्षा पर निर्भर रहेंगी। इस दशा में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना अधिक कठिन हो जाएगा। कृषि के लिए ऊर्जा की कमी, भूमि का क्षरण और जैव विविधता का ह्रास भी खाद्य सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। पशुओं में महामारी प्रकोप की संभावना को भी खाद्य सुरक्षा के



पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के साथ 3 नवंबर, 2016 से यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था। केंद्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आगे सुधार करने पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कंप्यूटरीकरण शामिल है। इसके लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है ताकि अनाजों की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थी के डाटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाय की पूरी शृंखला को कंप्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों को आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डिपो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाई जा रही हैं। पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। दूसरे तरीके में उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है। 31 अक्टूबर, 2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।

लिए एक प्रमुख खतरा माना जा रहा है, जिसमें पोल्ट्री और मछली पालन भी शामिल हैं।

अवसर और संभावनाएं

खाद्य सुरक्षा पर मंडराते खतरों को भांपते हुए राष्ट्रीय-स्तर पर विशेष कार्य योजनाएं बनायी गई हैं, जो खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाने में सहायक होंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में देश में 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' विकसित करने की ठोस पहल की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय-स्तर की परियोजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकें अपनाने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रमुख फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की जा रही हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या सर्दी को सहने की क्षमता मौजूद होती है। इसी प्रकार जलवायु अनुकूल कृषि विधियों का विकास किया गया है। सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिए टपक सिंचाई, फुव्वारा सिंचाई जैसी सूक्ष्म और कुशल तकनीकें विकसित की गई हैं, जिनका किसानों के खेतों तक प्रसार किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। भूमि की उर्वरता को सतत् बनाए रखने के लिए 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को बड़े पैमाने पर 'सॉयल हेल्थ कार्ड' जारी किए जा रहे हैं। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीन परिवर्तन या जेनेटिक इंजीनियरी की बेहद क्षमतावान विद्या तकनीकी रूप से हमारे पास उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। परंतु इसके उपयोग के लिए

सरकारी नीति और संस्तुति की आवश्यकता है, जो अभी न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण लंबित है। परंतु यह बात तय है कि भविष्य में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाली है।

हाल के वर्षों में सतत् कृषि की अवधारणा भी विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और सतत् उपयोग द्वारा कृषि प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों के संदर्भ में नैनो-टैक्नोलॉजी का उपयोग नई संभावनाएं उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार यंत्रीकरण और कृषि में ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में भी नवोन्मेषों द्वारा कृषि उत्पादन को अधिक कुशल और सक्षम बनाने की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही बदलते परिवेश के अनुसार नई नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता भी होगी। उदाहरण के तौर पर फसल कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें एक स्पष्ट और कारगर नीति बनानी होगी। इसी तरह भोजन की बर्बादी पर भी प्रभावी अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। सरकार द्वारा लागू की जा रही समाज कल्याण योजनाओं को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लगातार खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहे। खाद्य सुरक्षा के भविष्य को लेकर सरकार, योजनाकार और अन्य संबंधित लगातार गहन विचार-विमर्श करते हुए नई पहल कर रहे हैं। इसलिए आशा के साथ विश्वास भी है कि भारत में खाद्य सुरक्षा निरंतर और सतत् बनी रहेगी।

(पूर्व प्रधान संपादक (हिंदी प्रकाशन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा रोड, नई दिल्ली)

ई-मेल : jgdsaxena@gmail.com